न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 166 / 2017

समदरसिंह पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बोलियों की ढाणी तन सीथल तहसील उदयपुरवाटी

बनाम प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 110, 128 बाबत पत्थरगडी करवाने

निर्णय दिनांक 23.10.17

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 110, 128 बाबत पत्थरगडी करवाने का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सीथल की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 156/2 रकबा 2.40 है0 स्थित है। उक्त वर्णित भूमि का तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेशानुसार दिनांक 24.5.2017 को सीमाज्ञान किया गया था। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 156/2 की सीमाओं पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगडी करवाने का आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम सीथल की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 156/2 रकबा 2.40 है0 स्थित है। उक्त वर्णित भूमि का तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेशानुसार दिनांक 24.5.2017 को सीमाज्ञान किया गया था। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 156/2 की सीमाओं पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगडी करवाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी ग्राम सीथल के भूमि खसरा नम्बर 156/2 का रिकार्डेड खातेदार साबित है। उक्त वर्णित भूमि का पत्रावली में मौजूद दस्तावेज फर्द सीमाज्ञान दिनांक 24.5.2017 के अनुसार सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थी प्रस्तुत फर्द सीमाज्ञान के अनुसार उक्त वर्णित भूमि की चारों दिशाओं पर पुख्ता सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner

करवाना चाहता है। उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त वर्णित भूमि की सीमाओं पर पत्थरगडी करवाया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । ग्राम सीथल के भूमि खसरा नम्बर 156/2 रकबा 2.40 है0 भूमि का नापजोख कर नियमानुसार पत्थरगडी राशि जमा करवाई जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी नियमानुसार पत्थरगडी की कार्यवाही करें।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 23.10.12 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner